राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2017/21820 **भोपाल, दिनांक 12 /09/2017**

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश

2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

3. समस्त अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल,इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा सागर, मध्यप्रदेश

4. समस्त विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा सागर, मध्यप्रदेश

विषयः– एन.आर.सी. में गंभीर कुपोषित बच्चों को लाने एवं ड्रॉप बैक हेतु निःशुल्क परिवहन संबंधी दिशा–निर्देश।

****

विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2017–18 में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 22/08/2017 में लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के विभिन्न एन.आर.सी. से बच्चों की निःशुल्क परिवहन व्यवस्था अब जननी एक्सप्रेस अथवा 108 के माध्यम से की जानी है। **इस हेतु गंभीर कुपोषित बच्चे के Treatment एवं Follow-up कॉस्ट में पूर्व में प्रचलित Transportation Cost को विलोपित किया गया है।**

अतएव गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती करने हेतु ग्राम से पिक–अप तथा एन.आर.सी. से छुट्टी उपरांत ड्रॉप–बैक की व्यवस्था बनाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिये जाते है :–

1. गंभीर कुपोषित बच्चों की नामजद ड्यू लिस्ट ग्राम की आशा के पास सर्वथा संधारित रहे।
2. दस्तक अभियान में चिन्हांकित जटिल बच्चों को एन.आर.सी. में रेफरल हेतु प्राथमिकता दी जाये।
3. **आशा द्वारा चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों के एन.आर.सी. में भर्ती बाबत निःशुल्क परिवहन प्रणाली जननी एक्सप्रेस/108 को कॉल किया जाये। इस हेतु टोल फ्री नम्बर 108 पर कॉल लगाया जाये।**
4. **यदि जननी एक्सप्रेस/108 गर्भवती महिला के परिवहन में व्यस्त हो तो कॉल सेंटर ऑपरेटर द्वारा वाहन पहुँचने की संभावित समय की सूचना आशा को अनिवार्य रूप से दिया जाये ताकि तदानुसार परिजनों को सूचित किया जा सके।**
5. **जटिल बच्चों की आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुये आशा द्वारा इसकी स्पष्ट सूचना कॉल सेंटर ऑपरेटर को दी जाये ताकि रूटिन प्रकरणों को लंबित रखते हुये ऐसे जटिल बच्चे के परिवहन को प्राथमिकता दी जा सके।**
6. निःशुल्क ड्रॉप–बैक हेतु आवश्यक है कि एन.आर.सी. के पोषण प्रशिक्षक द्वारा समस्त डिस्चार्ज योग्य बच्चों की सूची एक दिन पूर्व बना ली जाये एवं ऐसे बच्चों का डिस्चार्ज टिकट अगले दिन दोपहर 12 बजे के पूर्व बच्चे के परिजनों को फॉलोअप की संपूर्ण जानकारी के साथ सौपते हुये, डिस्चार्ज बच्चों की नाम तथा पतेवार सूची, कॉल सेंटर पर प्रेषित की जाये ताकि बच्चों का निःशुल्क ड्रॉप–बैक जननी एक्सप्रेस द्वारा सुनिश्चित की जा सके।
7. ड्रॉप–बैक में रूट चार्ट प्लानिंग एवं वाहनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये यदि परिवहन में कुछ समय लग रहा हो तो बच्चे एवं उसकी माँ को उस समय तक का निःशुल्क भोजन अनिवार्य रूप से प्रदायित की जाये।
8. **अशोकनगर, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दतिया, डिण्डोरी तथा मण्डला में वर्तमान एकीकृत परिवहन प्रणाली पूर्ण रूपेण क्रियाशील नहीं हो पाई है, इन जिलों में आशा द्वारा जिले के कॉल सेंटर को ही गंभीर कुपोषित बच्चों के निःशुल्क परिवहन हेतु कॉल किया जाये।**
9. **उपरोक्त जिलों में एकीकृत निःशुल्क परिवहन व्यवस्था लागू होने पर जिलों की आशा द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों के निःशुल्क परिवहन हेतु टोल फ्री नम्बर 108 पर ही कॉल लगाया जाये।**
10. कॉल सेंटर ऑपरेटर द्वारा रूट चार्ट प्लानिंग हेतु निम्न जानकारी आशा से आवश्यक रूप से ली जाय :–

    (i.) गंभीर कुपोषित बच्चे का नाम व माँ का नाम

    (ii.) ग्राम का नाम

(iii.) क्या गंभीर कुपोषण के साथ बच्चे में चिकित्सकीय जटिलता भी है ? (तेज बुखार, दस्त या पेंचिस की शिकायत, उल्टी होना, बच्चे में अत्याधिक सुस्ती, दूध न पीना अथवा भोजन नहीं लेना, अत्याधिक खांसी, गंभीर कुपोषण के साथ शरीर पर मवाद वाले फोड़े–फुंसी होना अथवा अन्य कोई गंभीर लक्षण होना।)

(iv.) निकटस्थ एन.आर.सी. का नाम जिसमें बच्चे को भर्ती कराया जाना है।

11. उपरोक्त नवीन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु एन.आर.सी. चिकित्सा अधिकारी, पोषण प्रशिक्षक तथा जिला कम्यूनिटी मोबीलाईजर द्वारा समस्त आशा/आउटरीच ए.एन.एम. का उन्मुखीकरण किया जाये।
12. जिले में कॉल सेंटर ऑपरेटर्स का उन्मुखीकरण एन.आर.सी. चिकित्सा अधिकारी तथा जिला टीकाकरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाये ताकि निःशुल्क परिवहन के रूट चार्ट प्लानिंग हेतु बच्चों की प्राथमिकता का अंदाजा कर निःशुल्क परिवहन हेतु वाहन व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाये ताकि निःशुल्क परिवहन के अभाव में कोई भी गंभीर कुपोषित बच्चे को अनावश्यक असुविधा न हो।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2017/21821 भोपाल, दिनांक 12/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. म.प्र.।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
6. उपसंचालक, रेफरल ट्रांसपोर्ट/शिशु स्वास्थ्य पोषण, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
7. समस्त अधीष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल,इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा सागर, मध्यप्रदेश।
8. राज्य प्रभारी, 108, जिगीत्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. पोषण अधीकारी, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि जिला स्तरीय कॉल सेंटर ऑपरेटर के उपरोक्त अनुसार व्यवस्था के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक सहयोग करें।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, क्लींटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि जिला स्तरीय कॉल सेंटर ऑपरेटर के उपरोक्त अनुसार व्यवस्था के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक सहयोग करें।
11. राज्य कार्यक्रम प्रतिनीधि, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि जिला स्तरीय कॉल सेंटर ऑपरेटर के उपरोक्त अनुसार व्यवस्था के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक सहयोग करें।
12. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय आर.एम.एन.सी.एच.ए समन्वयक, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

संचालक
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश